

पक्षपात को मना करें
इसे न सहें। औरों द्वारा किए
गए पक्षपात को नज़रअंदाज़ न करें।
शिकायत करें – गोपनीय सलाह लें

NSW में निम्नलिखित कारणों से आपके विरुद्ध पक्षपात करना (आपके साथ अनुचित व्यवहार करना) गैर-क़ानूनी है:

- आयु
- विकलांगता
- समलैंगिकता
- वैवाहिक या घरेलू स्थिति
- जाति
- देख-भाल कर्ता होने की ज़िम्मेदारियाँ
- लिंग (इसमें स्तन-पान कराना व गर्भवास्था भी शामिल है)
- हिजड़ा होना

यह क़ानून निम्नलिखित स्थितियों में लागू होता है:

- जब आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं
- काम पर
- जब आप घर या अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं
- सरकारी स्कूल, कॉलेज या विद्यालय में
- जब आप किसी दुकान, बैंक, अस्पताल, होटल, रजिस्टर्ड क्लब, मनोरंजन स्थल व खेल-कूद की सुविधा जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं।

पक्षपात विरोधी बोर्ड (Anti-Discrimination Board) आपको निःशुल्क गोपनीय सलाह दे सकता है।

फ़ोन (02) **9268 5544** या सिडनी से बाहर के लोगों के लिए **1800 670 812**, और यदि आपको दुभाषिया चाहिए तो पहले **131 450** पर फ़ोन करें। ईमेल: adbcontact@justice.nsw.gov.au

शिकायत करने का फ़ार्म डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट www.antidiscrimination.justice.nsw.gov.au देखें। आप शिकायत अपनी भाषा में भी कर सकते हैं।